

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**  
**“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर**

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/आर-946/2013/अलेसे-III/6599

दिनांक :- 18-01-2021

**कार्यालय आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम सं. 06 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के ~~निम्न~~ 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए एवं कॉलम सं. 05 में अंकित चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1(1) वित्त (नियम)/2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में नियमित करते हुए कॉलम सं. 07 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की कॉलम सं. 08 में अंकित विभाग/कार्यालय से करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

| क्र. सं. | लिंक नं. | नाम/पदनाम (क.लेखाकार) | आदेशों की प्रतीक्षा अवधि        |                                 |                                                             | वेतन आहरण की अवधि               | विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है |
|----------|----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4                               | 5                               | 6                                                           | 7                               | 8                                               |
| 1        | 12153    | श्री रविन्द्र जाखड़   | आदेशों की कुल प्रतीक्षा अवधि    | चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि | आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए) | दिनांक 03.10.2019 से 25.10.2019 | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जायल, नागौर।        |
|          |          |                       | दिनांक 03.10.2019 से 25.10.2019 | दिनांक 03.10.2019 से 24.10.2019 | दिनांक 25.10.2019                                           |                                 |                                                 |

  
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.4(ई)/आर-946/2013/अलेसे-III/6599  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :- 18-01-2021

- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जायल, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक के गत भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन भुगतान आपके कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध कराने की व्यवस्था करावें।
- श्री रविन्द्र जाखड़, कनिष्ठ लेखाकार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जायल, नागौर।
- निजी सचिव निदेशक महोदय।
- उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।

  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)